



(NCTE, राजस्थान सरकार एवं राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त)

महात्मा गाँधी इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज

(बी.ए., बी.एड चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स)

आँधी, जमवारामगढ़, जयपुर (राज.) 303001

मो0 8955145493 | ई-मेल : mgigcbed@gmail.com

क्रमांक MGI/GC/6/2026

दिनांक : 14/05/2026

STUDENT FEE INFORMATION NOTICE

(For 4-Year Integrated Programme - B.A. B.Ed. / B.Sc. B.Ed.)

This is to inform all students, parents and stakeholders that the fee structure for the 4-Year Integrated Teacher Education Programme, namely B.A. B.Ed. and B.Sc. B.Ed., being conducted by the institution is being charged strictly in accordance with the fee prescribed by the Government of Rajasthan.

The applicable fee structure has been prescribed by the Government of Rajasthan vide Letter No. 4/2009 dated 22 March 2018. It is further informed that no revision or modification in the prescribed fee has been made by the State Government up to the current Academic Session 2026-27.

Accordingly, the institution has been strictly complying with the fee structure approved by the Government of Rajasthan and no excess fee is being charged from any student beyond the prescribed amount.

The approved course-wise fee details for the Academic Session 2026-27 are as follows:

APPROVED FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC SESSION 2026-27

S.N.	Course Name	Year/Semester	Fee Amount
01	B.A.B.Ed.	First Year	27,000/-
02	B.A.B.Ed.	Second Year	26,880/-
03	B.A.B.Ed.	Third Year	26,880/-
04	B.A.B.Ed.	Fourth Year	26,880/-
05	B.Sc.B.Ed.	First Year	27,000/-
06	B.Sc.B.Ed.	Second Year	26,880/-
07	B.Sc.B.Ed.	Third Year	26,880/-
08	B.Sc.B.Ed.	Fourth Year	26,880/-

All students are advised to deposit the prescribed fee only through the official procedure notified by the institution. Proper fee receipts shall be issued against every payment made by the students.

The institution remains committed towards maintaining transparency, accountability and compliance with all norms, rules and regulations prescribed by the National Council for Teacher Education (NCTE) and the Government of Rajasthan.

For any clarification regarding fee structure or fee-related matters, students and parents may contact the college office during working hours.

Enclosures: 1. Copy of Government of Rajasthan Letter no. 4/2009 dated 22-03-2018. महात्मा गाँधी इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज
आँधी, जमवारामगढ़ (जयपुर)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

सं.क्र. 11 (3) शिक्षा-4/2009पार्ट

दिनांक 31 मई, 2019

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019-20 के लिए शुल्क

राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के 2018-19 के वार्षिक शुल्क के संबंध में जारी
विभाग का समस्त अधिक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018, अकादमिक सत्र 2019-20 के लिए भी लागू होगा।

DR (PT)

286

31/5/19

(डॉ० राजेन्द्र गोशी)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिनिधि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. चैप्टर सचिव, सामनीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. नेजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. नेजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई), हंस भवन, विंग-1C, इंदिरा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110002।
5. नेजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. नेजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनआरसी-एनसीटीई), G-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली 110075।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
15. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
16. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
17. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
19. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
20. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
आदेश P24 (Pec) B.EU/अकादी/2019/255 दिनांक 03-6-2019

प्रभावी दिनांक 01-6-2019, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
प्रभावी दिनांक 01-6-2019 पर उपरोक्त कार्यवाही

नि.प्र.सू.सू.सू.
अ.प्र.सू.सू.सू.

प्राचार्य

महात्मा गाँधी इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज
ऑफ़ी, जयनारायणमठ (जयपुर)

(2)

सं. 1225
191m
22/3/18

राजस्थान सरकार
शिक्षा(एम्-4) विभाग

क्रमांक प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पार्ट

दिनांक 22 मार्च, 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.-एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

*क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।

उपरोक्त सारिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-शुल्क का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ बी.एड.-एम.एड.
(A) कार्यालय व्यय					
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	कॉशन मनी *	180	180	180	180
3.	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4.	विकास शुल्क	840	840	840	840
5.	बिजली-पानी	840	840	840	840
6.	परीक्षा	300	300	300	300
7.	विविध	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

प्रचार्य

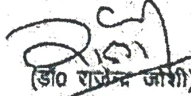
महात्मा गाँधी इन्टरनेशनल गर्ल्स कॉलेज
आँधी, जमवारामगढ़ (जयपुर)

(B) छात्र कोष				
1.	खेलकूद	180	180	180
2.	पुस्तकालय	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं सस्कृति	180	180	180
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180
5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180
8.	आकस्मिक व्यय	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160
	महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00

(* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा)

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कौशन मनी मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

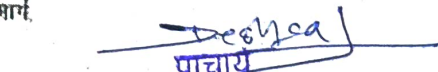
शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कैशलेस विकल्प उपलब्ध करवाएं।


(डॉ० राजेंद्र जोशी)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीयननिधि- II, एलआईटी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।


प्राचार्य
महात्मा गांधी इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज
आंधी, जमवारामगढ़ (जयपुर)

4

13. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
14. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
15. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. कुलसचिव, फोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुता विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शोखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल मृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलसचिव, राजकृषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. कुलसचिव, जगद्गुरु रागानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
22. कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय,
23. कुलसचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
24. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
25. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
26. मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रभारी छात्रवृत्ति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
27. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (शिक्षा ग्रुप-5) विभाग, सचिवालय।
28. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा 2018, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
29. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
30. समन्वयक, ग्री-बी.पी.एड व ग्री-एम.पी.एड परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
31. समन्वयक, पीएसएसटी परीक्षा 2018, जगद्गुरु रागानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नोट:-प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करवायें तथा एनसीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के बिन्दु संख्या 8(1) (iv) के अनुसार सत्र 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क के मन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवायें)


संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक F24(Fcc)बी.ए/क्रमांक/2018/206

दिनांक 23.03.2018

प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
इसका विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

23.3.18

23.3.18

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर


प्राचार्य

महात्मा गांधी इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज
आंधी, जमवारामगढ़ (जयपुर)